

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की नवम् बोर्ड बैठक
दिनांक—02.02.2018 का कार्यवृत्त

दिनांक—02.02.2018 को राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में मा० आवास मंत्री/ मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में नवम् बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

उपस्थिति:-

1. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, आवास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक, उ०आ०न०वि०प्रा०।
2. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एल०एन० पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री राजेन्द्र सिंह पतियाल, उप सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि)।
6. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग।
7. श्री एस०के० पन्त, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

अन्य उपस्थिति:-

1. श्री एन०एस० रावत, अधीक्षण अभियन्ता, उ०आ०न०वि०प्रा०।
2. श्री बी०एस० नेगी, अधिशासी अभियन्ता, उ०आ०न०वि०प्रा०।
3. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उ०आ०न०वि०प्रा०।

सर्वप्रथम मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड की नवम् बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें अष्टम् बोर्ड बैठक में में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति के पश्चात नवम् बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गई।

क्रमांक—01

विषय—प्रधानमंत्री आवास योजना/जन आवास योजना के अन्तर्गत रुद्रपुर में 1872 ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण हेतु वाप्कोस के साथ सम्पादित एम०ओ०यू० के अनुसार प्रगति की समीक्षा के संबंध में।

राज्य प्राधिकरण तथा WAPCOS Ltd. के मध्य दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध सम्पादित किया गया। अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार WAPCOS Ltd. द्वारा Inception Report 10 दिन में प्रस्तुत की जानी थी, जो कि दिनांक—21 मार्च, 2017 को प्रस्तुत की गयी, जो कि निर्धारित समय सीमा से चार माह बाद दी गयी। Feasibility,

Report एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जानी थी, जिसे WAPCOS Ltd. द्वारा दिनांक—12.04.2017 को प्रस्तुत की गयी, जो निर्धारित अवधि से चार माह बाद दी गयी।

WAPCOS Ltd. द्वारा Draft DPR & Estimates अनुबन्ध के अनुसार दो माह यानी दिनांक—03.01.2017 में दी जानी थी, जिसका प्रथम प्रारूप दिनांक—08.12.2016 को दिया गया। Draft DPR & Estimates पर राज्य प्राधिकरण द्वारा संशोधन एवं सुझाव दिनांक—24.12.2016 दिया गया, उक्त संशोधनों को करने के पश्चात WAPCOS Ltd. द्वारा दिनांक—29.12.2016 को Draft DPR & Estimates को प्रस्तुत किया गया। पुनः राज्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक—31.12.2016 को संशोधनों से अवगत कराया गया, जिसके क्रम में WAPCOS Ltd द्वारा दिनांक—03.01.2017 को पुनः Draft DPR & Estimates को प्रस्तुत किया गया। दिनांक—25.01.2017 को प्राधिकरण द्वारा पुनः संशोधन हेतु सुझाव देते हुए Show Cause notice-1 जारी किया गया। WAPCOS Ltd द्वारा दिनांक—13.02.2017 को नोटिस का जवाब दिया गया। दिनांक—16.02.2017 को मुख्य प्रशासक द्वारा समीक्षा आयोजित बैठक में WAPCOS Ltd द्वारा ले—आउट को फाइनल करने का निर्देश दिया गया। उक्त के क्रम में ले—आउट में संशोधन करते हुए अन्तिम ले—आउट प्रस्तुत करने, तदोपरान्त डी०पी०आर० का अन्तिम प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। WAPCOS Ltd द्वारा दिनांक—23.02.2017 को ले—आउट प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा उपरान्त कतिपय संशोधन हेतु सुझाव दिनांक—01.04.2017 को दिये गये, तत्क्रम में WAPCOS Ltd द्वारा दिनांक—10.03.2017 को पुनः संशोधित ले—आउट प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक—15.03.2017 को राज्य प्राधिकरण द्वारा पुनः संशोधन दिये गये, तदोपरान्त दिनांक—31.03.2017 को राज्य प्राधिकरण द्वारा ले—आउट को अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात प्राधिकरण द्वारा WAPCOS Ltd को Final Draft DPR & Estimates को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। तत्क्रम में WAPCOS Ltd द्वारा दिनांक—16.06.2017 को पुनः Draft DPR & Estimates राज्य प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राज्य प्राधिकरण एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संयुक्त बैठक में दिनांक—12.07.2017 Draft DPR में संशोधन हेतु सुझाव दिये गये। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि में Draft DPR & Estimates प्रस्तुत न करने के कारण, दिनांक—27 जून, 2017 को आहूत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक—13 जुलाई, 2017 को WAPCOS Ltd को Show Cause notice जारी किया गया, तत्क्रम में दिनांक—21 जुलाई, 2017 को WAPCOS Ltd द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। दिनांक—29 जुलाई, 2017 को राज्य प्राधिकरण, सूडा द्वारा WAPCOS Ltd के अधिकारियों के साथ प्रस्तुत डी०पी०आर० पर विचार—विमर्श किया गया। उक्त बैठक में ले—आउट में पुनः संशोधन करते हुए 2000 भवनों के स्थान पर 1872 भवनों के निर्माण किये

जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 05 अगस्त, 2017 को सचिव, आवास उत्तराखण्ड के समक्ष प्रधानमंत्री जन आवास योजना रुद्रपुर की प्रगति की समीक्षा की गयी। WAPCOS Ltd द्वारा निर्देशों के अनुरूप ले—आउट में संशोधन करते हुए 2000 आवासों से 1872 आवासों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया तथा आवासों को क्रास सब्सिडाइजेशन किये जाने हेतु 6655 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित की गयी। WAPCOS Ltd द्वारा पांचवीं बार पुनः संशोधित Draft DPR & Estimates दिनांक—01.08.2017 को प्रस्तुत किया गया, जिसको दिनांक 27.09.2017 को शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। Final Draft DPR & Estimates प्रस्तुत करने में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार WAPCOS Ltd. द्वारा अतिरिक्त सात माह का विलम्ब किया गया। WAPCOS Ltd. द्वारा एम०आ०य० के चार माह के अन्दर टेण्डर डॉक्यूमेन्ट प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु WAPCOS Ltd. द्वारा दिनांक—07.12.2017 को टेण्डर डॉक्यूमेन्ट उपलब्ध कराया गया, जो कि निर्धारित समयावधि से नौ माह विलम्ब से उपलब्ध हुआ है।

WAPCOS Ltd. को मानव संसाधन राज्य प्राधिकरण कार्यालय में तैनात करने, योजना से संबंधित विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने, विभिन्न प्राधिकरणों सीलिंग की भूमि चिन्हीकरण कर किफायती आवास योजना तथा अन्य प्रयोजनों हेतु सूचीबद्ध करते हुए योजना प्रस्तुत नहीं की गयी।

योजना की Soil Testing की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में WAPCOS Ltd. द्वारा चार माह बाद Soil Testing Report विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। लाभार्थियों की एम०आई०एस० रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देशों के क्रम में WAPCOS Ltd. द्वारा सात माह बाद उक्त कार्य पूर्ण कराया गया। उक्त योजना के वित्त पोषण हेतु हुड़को को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जानी थी, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। राज्य प्राधिकरण स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही गतिमान है। उक्त से यह स्पष्ट है कि WAPCOS Ltd परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गम्भीर प्रतीत नहीं हो रहा है तथा WAPCOS Ltd द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कोई भी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय— बोर्ड को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड जन आवास योजना के अन्तर्गत ई०डब्ल्य०एस० भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या—614 / V—2016—23(आ०) / 2016, दिनांक 09.12.2016 के माध्यम से किछ्छा बाईपास स्थित नजूल भूमि 79869.00 वर्ग मी० भूमि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी। तदोपरान्त राज्य

प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या—1527 / V-2—2016—91(आ०) / 2016, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के अनुपालन के क्रम में वॉफ्कोस से दिनांक 04.11.2016 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। तदोपरान्त वॉफ्कोस ने उक्त भूमि पर 1872 इ०डब्ल्य०एस० आवास तथा तत्सम्बन्धित अवस्थापकीय सुविधाओं का प्राविधान करते हुए डी०पी०आर० प्रस्तुत की गयी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास के माध्यम से राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) से स्वीकृति उपरान्त केन्द्र सरकार को प्रति भवन रु० 1.50 लाख अनुदान स्वीकृत कराने हेतु प्रेषित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से योजना का अनुमोदन किया गया।

विशेष आमंत्री के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रश्नगत भूमि रुद्रपुर शहर के मध्य में स्थित है तथा व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उक्त भूमि पर आवासीय योजना के अन्तर्गत 1872 भवन बनाये जाने की स्थिति में समीपवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या व यातायात दबाव में वृद्धि होगी। शहर के मध्य स्थित होने के कारण उक्त स्थल पर आवासीय योजना के स्थान पर पार्क तथा पार्किंग विकसित किया जाना उचित होगा तथा उक्त में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल क्षेत्रफल का मात्र 10 प्रतिशत भूमि व्यवसायिक दृष्टि से उपयोग किया जाना उचित होगा। उक्त स्थान पर प्रस्तावित आवासीय योजना को रम्पुरा स्थित भूमि क्षेत्रफल 3.98 है० में स्थानान्तरित किया जा सकता है। उक्त रम्पुरा स्थित भूमि के निकटवर्ती क्षेत्रों में मलिन बस्ती निवासित है तथा उक्त भूमि पर इ०डब्ल्य०एस० आवास बनाये जाने की स्थिति में आवासहीन परिवारों को रम्पुरा में ही आवास उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जिससे मलिन बस्ती में भी सुधार के कार्य किये जा सकते हैं। मलिन बस्ती के मध्य स्थित होने से मलिन बस्ती में स्थित आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध होने की स्थिति में उनके वर्तमान स्थल से अधिक दूरी पर पलायन नहीं करना होगा जिससे योजना की सार्थकता बनी रहेगी।

रम्पुरा भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा भूमि की वस्तुस्थिति तथा भौगोलिक अवस्थिति को गूगल मैप के माध्यम से दर्शाते हुए विस्तृत विवरण प्रदान किया गया।

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राईवेट बिल्डर

वर्तमान में ई0डब्ल्यू0एस0 आवास, रुद्रपुर आवासीय योजना में प्रस्तावित आवास के विक्रय मूल्य से कम दरों पर आवासों का निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि आवास योजना हेतु निजी निर्माणकर्ताओं से उत्तराखण्ड आवास नीति-2017 के अन्तर्गत भी प्रस्ताव आमंत्रित किये जाए, जिससे सम्भवतः कम मूल्य के ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों के विकल्प उपलब्ध हो सके।

मा0 अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को निर्देशित किया कि रम्पुरा स्थित भूमि का तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा एक कॉन्सेप्ट प्लान पर ले—आउट बनाते हुए प्रति आवास मूल्य को आकलित करते हुए प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराया जाये। रम्पुरा स्थित भूमि पर योजना क्रियान्वयन हेतु योजना की फिजीबिलिटी तथा भूमि की उपयुक्ता तथा अवस्थापकीय सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु तकनीकी निरीक्षण के सम्बन्ध में एक तकनीकी टीम जिसमें उडा के तकनीकी अधिकारी तथा जनपद रुद्रपुर से सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अभियन्ताओं द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर को उपलब्ध करायी जायेगी। तकनीकी टीम का गठन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा किया जायेगा।

बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में उपरिथित वॉफ्कोस के मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित रम्पुरा भूमि पर योजना का परिकल्पना प्रपत्र करते हुए आवश्यक विवरण जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जाए। वॉफ्कोस को निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव में रम्पुरा स्थित भूमि पर ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने हेतु कॉन्सेप्ट प्लान जिसमें अनुमानित आवासों की संख्या, लिफ्ट आदि सुविधाओं सहित 10 वर्ष के अनुरक्षण का व्यय भी सम्मिलित किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड आवास नीति-2017 के प्रावधानों के अनुसार निजी विकासकर्ताओं से ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से ई0ओ0आई0 तैयार करते हुए प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-02

विषय— मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलय एवं पदों के पुनर्गठन के संबंध में।

राज्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा 12 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की अधिसूचना जारी की गयी है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलय के उपरान्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, देहरादून के गठन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलय के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा संज्ञान लेते हुए अनुमोदन किया गया।
(कार्यवाही-उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-03

विषय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को क्रियाशील एवं सुगम संचालन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों के प्रतिनिधायन किया जाना है, जिसके लिए प्रस्ताव बनाया गया है, जो कि संलग्नक-01 पर प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदार्थ प्रस्तुत।

निर्णय— बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-04

विषय— जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के महायोजना बनाये जाने हेतु सर्वे एवं महायोजना निर्मित करने हेतु इम्पेनल फर्मों का विवरण अवलोकनार्थ।

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के नियोजित विकास हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया। पूर्व में स्थित विनियमित क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र, नगर निकाय क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 मीटर दोनों ओर के क्षेत्र को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। इन विकास क्षेत्रों के महायोजना बनाने का कार्य उड़ा को दिया गया, ताकि शीघ्र महायोजना

बनाकर नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। महायोजना का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तकनीकी दिशा-निर्देशों में बनाया जा रहा है। उड़ा द्वारा महायोजना को दो चरणों में बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सर्वप्रथम जी0आई0एस0 बेस मैप एवं सर्वे कार्य किया जाना है तथा द्वितीय चरण में सर्वे उपरान्त महायोजना बनाई जानी है। उड़ा द्वारा सर्वे तथा महायोजना बनाने हेतु आर0एफ0पी0 बनाकर समाचार पत्रों के माध्यम से इम्पेनल करने हेतु प्रस्ताव मांगे गये, जिसमें जी0आई0एस0 आधारित बेस मैप एवं सर्वे कार्य किये जाने हेतु 30 प्रस्ताव तथा महायोजना कार्य हेतु 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिसमें आर0एफ0पी0 के शर्तों के अनुसार परीक्षण करने पर सर्वे कार्य हेतु 14 फर्मों एवं महायोजना कार्य हेतु 17 फर्मों को सफल घोषित करते हुए इम्पेनल किया गया। (संलग्नक-02)

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र (चमोली, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्र, अल्मोड़ा) तथा पूर्व में जिन विकास क्षेत्रों की सर्वे कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है उनकी महायोजना का कार्य किये जाने हेतु उड़ा द्वारा इम्पेनलड फर्मों से वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा के जी0आई0एस0 आधारित बेस मैप, सर्वे कार्य हेतु चयनित फर्म को कार्यादेश जारी किया गया एवं रुड़की क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

निर्णय— उक्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए की गयी कार्यवाही को बोर्ड द्वारा संज्ञान लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक—05

विषय—स्वीकृत बजट वर्ष 2017–18 में पुनर्विनियोग का अनुमोदन के संबंध में

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक-27 राजस्व आय रु0 1228 लाख तथा व्यय रु0 1190.20 लाख का प्रावधान है। राजस्व व्यय के कतिपय मद में बजट में प्रावधान राशि से अधिक व्यय होने की सम्भावना है। इस व्यय प्रतिपूर्ति मूल बजट के मद रिसर्च ट्रेनिंग/कन्सलटेन्सी/सेमिनार/गोष्ठी के में रु0 150 लाख के प्रावधान है और इस मद में इस वित्तीय वर्ष में बचत होगी। (संलग्नक-03)

अतः स्वीकृत बजट के अन्तार्गत संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय— प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त पुनर्विनियोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक—06

विषय—अन्य बिन्दु ।

निर्णय—

1. नये अधिसूचित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों के महायोजना के सम्बन्ध में बैठक में प्रस्ताव पर विचार—विमर्श के दौरान मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महायोजना का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु एक विस्तृत विवरण मा0 मंत्री/अध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बोर्ड की बैठक का समापन किया गया।

१/
मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
०/८

संख्या— 1236/उडा—24(3)/बोर्ड बैठक/2014, दिनांक— १७.०२.२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव, उद्योग/प्रमुख सचिव, वन/प्रमुख सचिव, नियोजन/सचिव, आवास/सचिव, पर्यटन/सचिव, शहरी विकास/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
3. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगण।
5. गार्ड फाईल।

१/
मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
०/८